राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का १५ वां दिवस [संख्या ११

सोमवार २ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ४ बज कर १० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री का आय-व्ययक भाषण

श्री हरिभाऊ उपाध्याय के भाषण देने को खड़े होने पर करतल ध्वनि।)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री): मैं राजस्थान सरकार का १९५९-६० का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए समुपस्थित हो रहा हूं।

वित्त मन्त्री की हैसियत से अपना उत्तर-दायित्व पूरा करते हुए मैं इस राज्य का यह तीसरा आयव्ययक विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

(करतल-ध्वनि)

यह अवसर ऐसा है जब हम विचार करते हैं कि लोकतन्त्री व समाजवादी समाज व्यवस्था का जो मनोवांछित लक्ष्य व आदर्श हमने अंगीकार किया है उसकी दिशा में हम कितने आगे बढ़े हैं और हमारी सफलताओं का तलपट क्या है।

अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश में दूरगामी आधार पर आयोजन की अत्यन्त आवश्यकता होती है। किसी भी प्रकार की क्रियात्मक कार्यवाही करने से पूर्व यह आवश्यक है कि हमारी आर्थिक अपेक्षाओं के आधार पर, तथा उन सिद्धान्तों के अनुसार जो हमारे लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हों, आयोजन किया जाय। किन्तु इससे भी अधिक महत्व-पूर्ण तथ्य यह होता है कि जनता में ऐसी आन्तरिक प्रेरणा उत्पन्न की जाय जिससे विकास तथा संकल्प पूरा करने की दिशा में वह पूरी लगन के साथ अग्रसर हो सके।

हमारे देश की अधिकांश आबादी गांवों में बसती है, और परम्पराबद्ध मनोवृत्ति, आदिकालीन अवस्थाओं व सीमित साधनों वाले हमारे इन देशवासियों को केवल इस बात की अपेक्षा है कि उनके अन्तःकरण की ज्योति जगादी जाय। इनमें अपनी उन्नति करने तथा रूढ़िवाद की बेडियां उतार फैंकने की प्रसुप्त लालसा विद्यमान है, और यदि इन्हें उचित मार्ग दिखाया जाय तथा आव-

Page No 2

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

श्यक सहायता दी जाय तो ये सार्वजनिक हित के किसी भी कार्यक्रम में निःसन्देह पर्याप्त योगदान कर सकते है। पंचवर्षीय योजना की अवधि में और द्वितीय योजना के विगत तीन वर्षों में प्रमाण मिल चुका है कि जनता की ओर से समर्थन व सहयोग में कोई कमी नहीं रही है।

विकास कार्यक्रम की मुख्य रचना वैय-क्तिक व सामुदायिक जीवन के जिन चार पहलुओं अथवा तथ्यों पर केन्द्रित होनी चाहिये वे हैं : आर्थिक स्थिति, घर, शिक्षा व स्वास्थ्य, तथा मनोरंजन।

जनसाधारण अब जीवन के उत्तम स्तरों पर पहुंचने के लिए लालायित हैं। स्वा-धीनता के बाद उन्हें पुरानी नौकरशाही की कठोरताओं का पूरा भान हो गया है और वे महसूस करने लगे हैं कि उनका निस्तार अब केवल उस नई लोकतन्त्री व्यवस्था में ही है जिसे हमारे नेतागण रच रहे हैं और जिसमें राष्ट्रीय सम्पदा का न्यायोचित बंटवारा और अवसरों की समानता सबके लिए आश्वस्त होगी। पुरानी व्यवस्था में उन्हें न तो पहनने को पूरे कपड़े मिलते थे, न रहने को अच्छे मकान मिलते थे और न ही पुष्टिकर भोजन मिलता था। वे रोगाक्रान्त तथा अपढ़ थे और निरन्तर उनका शोषण होता रहता था। अतः अब उनकी छटपटाहट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और वे उन कुछ उच्च स्थलों को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं हैं जिन्हें समाज में सर्वाधिक सुविधाएं प्राप्त हैं।

आज विभिन्न स्तरों पर पायी जाने वाली असमानताओं को समान स्तर पर लाने की नितान्त आवश्यकता है। कहना न होगा कि केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारें इस गुरुतर कार्य में सलंग्न हैं, और अनेक कठिनाइयों व बाधाओं के बावजूद मानने लायक प्रगति सम्भव हो सकी हैं। विकास कार्यक्रमों से प्राप्त होने वाले लाभ सारे देश में चारों ओर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो भी इसमें सन्देह नहीं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

इधर कुछ महीनों में देश के आर्थिक वातावरण पर वस्तुओं के चढ़ते हुए भावों का, विशेषतया खाद्य पदार्थों के चढ़ते हुए भावों का, प्रधान असर रहा है। गत वर्ष के पूर्वार्द्ध में कुछ समय के लिए अलबत्ता कीमतें नीचे गिरी थीं, परन्तु मार्च, १९५८ से सब वस्तुओं के भावों में निरन्तर वृद्धि होती गई है। वर्ष के मध्य में खाद्यान्नों के भाव एक दम ऊंचे चढ़ गये थे। इसका कारण यह था कि रबी की फसल कम हुई, खरीफ की फसल देर में बोयी गयी, और साथ ही राजस्थान से उत्तरी क्षेत्र के अन्य राज्यों को खाद्यान्नों का निर्यात हुआ। फसल कम होने से २३ लाख आबादी वाले लगभग ३९,००० वर्ग मील के क्षेत्र में अभाव की स्थिति की घोषणा करनी पड़ी। सरकार ने ऐसे नियामक उपायों का अवलम्बन किया है जिनका उद्देश्य खाद्यान्नों की पूर्ति में वृद्धि करना, तथा उनकी कीमतों पर नियन्त्रण रखना है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमारी निरन्तर मांग के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान को खाद्यान्नों के मामले में स्वतन्त्र क्षेत्र घोषित कर दिया है। अब हम देखते हैं कि खाद्या-न्नों के भावों में गिरावट हुई है तथा और भी गिरावट की आशा है। राष्ट्रीय नीति का

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

अनुसरण करने के लिए सरकार ने खाद्यान्नों के थोक व्यापार को अपने नियन्त्रण में लेने का निश्चय किया है।

१९५८–५९ के लिए कृषि उत्पादन के संभावित लक्ष्य हैं: खाद्यान्न २.२१ लाख टन, गन्ना १.३६ लाख टन और रूई .१७ लाख गांठें। आशा की जाती है कि ये सारे लक्ष्य सिद्ध हो जायेंगे।

कुछ ही दिन बाद हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही तृतीय योजना का ढांचा तैयार करने का काम भी हाथ में लिया जा चुका है। जिस समय द्वितीय योजना बनाई गई थी उस समय भविष्य के जिन साधनों का हम अन्दाज कर सकते थे, उनकी अपेक्षा से इस योजना का आकार बहुत बड़ा माना जा सकता है। किन्तु यदि हम देश की अन्तर्हित आवश्यकताओं का विचार करें तो वास्तव में यह योजना साधारण ही है। और यदि देश की विपुल आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाय तो तीसरी योजना बहुत भारी भरकम होने वाली है। यदि प्रगति के वेग को थोड़ा सा भी बढ़ाया जाय तो भी तीसरी योजना का आकार दूसरी योजना के आकार से बहुत अधिक बड़ा होना चाहिए। आयोजना आयोग कृषि व उद्योगों की ऐसी समन्वित आर्थिक स्थिति के लिये प्रयत्नशील है और निरन्तर प्रयत्नशील रहेगा, जिसमें आवश्यक मशीनों व रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि पर बल दिया जाय। अत: यह स्पष्ट है कि देश के आन्तरिक साधनों को अधिकतम परिमाण में जुटाने के लिये जबर्दस्त प्रयत्नों की आवश्यकता होगी। साथ ही बाह्य सहायता की आवश्यकता को भी नजर-अन्दाज नहीं किया जा सकता।

आगामी वर्ष के आयव्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का वर्णन करने से पहले मैं राज्य की आयव्ययक स्थिति पर सीधा प्रभाव डालने वाली वर्तमान आर्थिक प्रवृत्तियों तथा अन्य हेतुओं की चर्चा करना उचित समझता हूँ, क्योंकि इससे उन प्रस्तावों को ठीक तरह समझने में सुविधा होगी।

आर्थिक उन्नति, द्वितीय वित्त आयोग के निर्णय के अधीन साधनों में वृद्धि, जागीर अधिग्रहण तथा करों सम्बन्धी उपायों का अवलम्बन—इनके फलस्वरूप करों तथा बिना करों वाले राजस्व में जो उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है उसका आभास आय के अनुमानों से हो जायगा।

व्यय खाते में जो कार्यक्रम समाविष्ट हैं, उनमें अंगीकृत व्यय तथा द्वितीय योजना के अन्तर्गत विकास कार्यों पर होने वाला व्यय, सम्मिलित हैं। अंगीकृत व्यय में, अर्थात् उस व्यय में जिसे योजना व्यय से जुदा रखने के लिये गैर-योजना व्यय की संज्ञा दी जाती है, १ मार्च, १९५८ से स्वीकृत किये गये एकीकृत वेतन क्रमों का पूरा प्रभाव, मंहगाई भत्ते में १ अप्रेल, १९५७ से की गई ५ रु० मासिक वृद्धि और १ अक्तूबर, १९५८ से की गई ५ रु० मासिक अतिरिक्त वृद्धि, शामिल हैं। इन सब वृद्धियों के परिणाम-स्वरूप इस मद में २.५ करोड़ रु० की अतिरिक्त धनराशि खर्च हो रही है।

योजना के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए हर साल अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये जाते रहे हैं। इससे भी व्यय के आंकड़ों में वृद्धि होती रही है।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

जागीरों के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप यद्यपि अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हुई है, परन्तु मुआवजों के भुगतान में, पुनर्वास अनुदानों में, मुआवजे के बंधपत्रों के ब्याज में, राज्यव्यापी प्रशासनिक संगठन में, भू-अभिलेख कर्मचारियों की संख्यावृद्धि में, बन्दोबस्त की क्रिया के खर्च में, अब तक उपेक्षित जागीरी क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा व सामाजिक कल्याण के कार्यों में, जागीरों के कर्मचारियों को पेंशनों व आनुतोषिकों में, तथा अन्य चीज़ों में, बहुत अधिक धन खर्च हो रहा है। छोटे जागीरदारों को दी जाने वाली राहत के बारे में नेहरू पंचाट का वित्तीय परिणाम लगभग ५.१।२ करोड़ तक होगा, जिससे जागीर पुनर्ग्रहण का खर्चा और अधिक हो जायगा।

द्वितीय वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप जो अतिरिक्त साधन उपलब्ध हुए हैं, उन्हें अजमेर के एकीकरण से होने वाली राजस्व घटी, आन्तरिक जकात हटाई जाने से राजस्व में कमी, तथा सीमा पुलिस पर खर्च के मुकाबले में रख कर देखना चाहिए।

चूंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए विकास योजनाओं की गति में अधिक तेजी लाना आवश्यक हो गया है। अतः मूल योजना के अभीष्ट कार्यक्रमों को फलीभूत करने के लिए बाकी के दो वर्षों में योजना के कार्यों पर किया जाने वाला खर्च बढ़ाना होगा। प्रशासनिक तंत्र ने अब वेग प्राप्त कर लिया है। और वह योजनाओं की पूर्ति के मार्ग में पूरी लगन से अग्रसर हो रहा है।

वित्त आयोग ने जमींदारी उन्मूलन से होने वाले पूंजीगत व्यय के लिए राजस्व में भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं रखी। किन्तु उसने यह जरूर कहा कि वित्तीय योजना में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पूंजीगत व्यय एक सीमित अवधि के राजस्व खाते में वापिस डाल दिया जाय। चालू वर्ष से हमने उत्तर प्रदेश में प्रचलित प्रथा का अवलम्बन किया है। बन्धपत्रों पर ब्याज देने के लिए तथा मुआवजे के कुछ भाग का भुगतान करने के लिए हम राजस्व व्यय की मद में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करते हैं।

वित्त आयोग ने अंगीकृत व्यय के अनुमानों में राजस्व से ऋणों के भुगतान के लिए भी किसी व्यवस्था का विचार नहीं किया। उसने राज्य के केन्द्रीय ऋणों के एकीकरण की एक योजना सुझाई है।

यह मामला अभी तक भारत सरकार के विचाराधीन है और हमने अपने पूरे बल के साथ उससे निवेदन किया है कि वित्त आयोग के निर्णय के परिपालन के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय कर दिया जाय। वर्तमान स्थिति में पुनर्वास ऋणों तथा अल्पकालीन ऋणों के सिवाय केन्द्रीय ऋणों के भुगतान की व्यवस्था करना हमारे लिए बिल्कुल सम्भव नहीं है। क्योंकि सारे उपलब्ध साधनों का विकास के कार्यों में उपयोग किया जा रहा है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें अपने ऋण की देनदारी का भान नहीं है, और इनके भुगतान के बारे में हमको कोई आशंका करने की भी जरूरत नहीं है। हम ऋण के रुपयों से ऐसी सम्पत्ति उत्पन्न कर रहे हैं जिससे न केवल ऋण के चुकारे के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध होंगे, बल्कि सामाजिक सेवाओं के विस्तार के लिए आवश्यक अतिरिक्त व्यय

Page No 5

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

भी पूरा हो जायगा। भूमि की बिक्री से प्राप्त होने वाला रुपया, और भाखड़ा, चम्बल व राजस्थान नहरों के क्षेत्रों में सुधार कर की वसूली, इन परियोजनाओं के वास्ते केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋणों के भुगतान के विनियोजन के लिए विशेषांकित कर दी गई है और मोटे हिसाब के अनुसार हम इस सारी रकम को चुकाने की आशा करते हैं। राजस्थान विकास ऋणों के अवमूल्यन प्रभार को उठाने के लिए हमने आयव्ययक अनु–मानों में समुचित व्यवस्था कर ली है। सार्व-जनिक ऋणों व केन्द्रीय ऋणों, दोनों के ब्याज प्रभारों के लिए भी पूरी व्यवस्था कर दी गई है।

आगामी वर्ष के अनुमान तैयार करने के लिये गत दो वर्षों के वास्तविक आंकड़ों पर विचार करना तथा चालू वर्ष के कार्य का सिंहावलोकन करना आवश्यक है।

१६५६-५७ का लेखा।

१६५६-५७ में वास्तविक राजस्व आय २३७५.३० लाख थी और इसके मुकाबले में राजस्व पर प्रभारित व्यय २७१८.५४ लाख रुपये हुआ था जिसके कारण राजस्व में ३४३.२४ लाख रुपये का घाटा रहा। कुल पूंजी गत व्यय ६५७.५४ लाख रुपये का था। इन आंकड़ों में पुनर्गठन पूर्व राजस्थान के राज्य के सात महीने के आंकड़े तथा पुनर्गठित राजस्थान राज्य के पांच महिने के आंकड़े सम्मिलित हैं। इनका कुछ अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि इनमें राज्यों की पुनर्गठित योजना का पूरा प्रभाव परिलक्षित नहीं होता है।

१६५७-५८ का लेखा

१६५७-५८ के आंकड़ों से पुनर्गठित-राज्य की पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। प्रारम्भ में राजस्व प्राप्तियों का अनुमान कुल २६३८.३३ लाख रुपये का था। राजस्व लेखे में अनुमानित व्यय ३२१८.६४ लाख रुपये रखा गया था जिससे २८०.६१ लाख रुपये के घाटे की सम्भावना प्रकट होती थी। इन आंकड़ों में वित्त आयोग की सिफारिशों के पूरे प्रभाव का भी विचार नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय तक वित्त आयोग की केवल अन्तरिम सिफारिशें ही प्राप्त हुई थीं। आयोग के अन्तिम निर्णय के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली अधिक धनराशि अन्तरिम प्रतिवेदन में प्रस्तावित धनराशि से अधिक है। अतः संशोधित अनुमानों में ये आंकड़े ठीक कर लिये गये। संशोधित अनुमान नीचे लिखे अनुसार बनाये गये :—

राजस्व प्राप्तियां	३०६६.४० लाख रुपये
राजस्व खाते में व्यय	२२२५.३२ लाख रुपये
पूंजीगत व्यय	१५३६.६८ लाख रुपये

हिसाब के अन्तिम आंकडे अब प्राप्त हो गये हैं। संशोधित अनुमानों में दिखाई गई राजस्व प्राप्तियों के कुल ३०६६.४० लाख रुपये के मुकाबले में वास्तविक प्राप्तियों का कुल योग ३०६८.६४ लाख रुपये हुआ। सब मिला कर यह फर्क लगभग नगण्य है।

जहां तक राजस्व खाते में व्यय का सम्बन्ध है, वास्तविक व्यय की कुल धनराशि ३१३१ ६६ लाख रुपये है। इससे यह परिणाम निकला कि संशोधित अनुमानों में दिखाये गये १५५.६२ लाख रुपये के घाटे के मुकाबले

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

में वास्तविक घाटा ६३.०२ लाख रुपये का ही रहा ।

चालू वर्ष के आयव्ययक में हमने ३३६३.६१ लाख रुपये की कुल प्राप्तियों का हिसाब लगाया था। इस हिसाब में ये बातें भी शामिल की गई थी (१) विभिन्न शीर्षकों में परिवर्धित प्राप्तियां, विशेषतया संघीय उत्पादन शुल्क, आयकर, रेल भाड़ों पर कर मुद्रांक (स्टाम्प्स), वन, वाहनों पर कर, बिक्री कर, सिंचाई के कार्य, (अवाणिज्यिक) ; (२) विकास योजनाओं पर व्यय के लिए संवृद्ध प्रावधान के आधार पर केन्द्रीय सरकार से परिवर्धित आर्थिक सहायता ; (३) आरोपण किया जाने वाला अतिरक्त कर।

राजस्व पर प्रभारित व्यय की कुल अनुमानित राशि ३३७४.४१ लाख रुपये थी जिसमें योजना कार्यों के लिए ६४४.४४ लाख रुपये की भी व्यवस्था की गई थी।

पूंजीगत व्यय के कार्यक्रम की अनुमानित राशि १६५५.६५ लाख रुपये रखी गई थी जिसमें १३०८.३८ लाख रुपये तक योजना व्यय की व्यवस्था थी।

मूल अनुमानों के अनुसार राजस्व में १६.५० लाख रुपये की बचत प्रत्याशित थी।

१६५८-५६ के संशोधित अनुमानः प्राप्तियां

चालू वर्ष के नौ महीनों की वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर और आगे के तीन महीनों की संभावित प्राप्तियों का हिसाब लगाने पर संशोधित अनुमानों की राशि ३५१८.१४ लाख रुपये हो जाती है, जिसमें विकास योजनाओ के लिए २८७.०३ लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी सम्मिलित हैं। जिन मुख्य शीर्षकों में संवृद्धियां दिखाई देती हैं वे हैं : केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, रेल भाड़ों पर कर, भू- राजस्व राज्य आबकारी शुल्क, वाहनों पर कर, बिक्री कर, अन्य कर व शुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पशुपालन।

कुछ शीर्षकों में घटतें भी दिखाई गई हैं। मैं इन अन्तरों की व्याख्या के विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये आयव्ययक के ज्ञापन में दिये हुए हैं।

मूल अनुमानों के मुकाबले में कई शीर्षकों में संवृद्धियां हुई हैं। सम्भावित बचतों की आशा सिद्ध न होने के कारण तथा प्रत्याशित हद तक मितव्ययता सम्बन्धी कटौती न किये जाने के कारण, व्यय में जो वृद्धि हुई है उसके अलावा वृद्धि का मुख्य कारण वह अतिरिक्त व्यय है जो २५० रु० प्रति मास तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में १ अक्टूबर १६५८ से ५ रु० मासिक की एक मुश्त वृद्धि केफ ल स्वरूप आवश्यक हो गया इससे लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों की संख्या १,४०,००० के लगभग है और इसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय का हिसाब ८५ से ६० लाख रुपये वार्षिक बैठता है। वर्ष के भीतर हाथ में ली जाने वाली नई योजनाओं के लिए तथा अन्य आकस्मिक आवश्यकताओ के लिए पूरक मांगें भी व्यय में वृद्धि के लिये ज़िम्मेदार हैं।

राजस्व पर प्रभारित व्यय

कुछ शीर्षकों के अन्तर्गत पूरी रकम खर्च नहीं की जा सकी है। इसका मुख्य कारण योजना कार्यों की धीमी प्रगति है। समायोजन की दो विशेष मदें ऐसी हैं जिनका नकद लेन

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

देन से तो कोई वास्ता नहीं है परन्तु जिनके कारण व्यय के आंकड़े बढ़ गये हैं। विगत वर्षों की अन्न व्यापार योजना के लाभ-हानि के तलपट में दिखाये गये नुकसानों की रकम १ करोड़ तक जा पहुंची है और इसका समायोजन करने के लिये इसे चालू वर्ष के लेखे में राजस्व के '४७' शीर्षक में नामे डालना पड़ा है। इसकी जमा '२२' शीर्षक के नीचे व्याज प्रभार के हिसाब में तथा '८५' क मुख्य शीर्षक के नीचे दिखाई पड़ेगी। इस समायोजन से राजस्व आयव्ययक के अन्तर्गत व्यय के आंकडे बढ़ गये हैं। किन्तु उपायों व साधनों की स्थिति फिर भी अविचलित हैं। दूसरी मद २० लाख रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों को नकद रोंकड़ बाकी लेखे से राजस्थान विश्वविद्यालय के हिसाब में डालने के समायोजन से सम्बन्ध रखती है। इस प्रयोजन के लिए विशेशांकित प्रतिभूतियां विश्व विद्यालय को १६५१ में हस्तान्तरित कर दी गई थी, परन्तु लेखा कार्यालय ने सुझाव दिया है कि ३७ शिक्षा, शीर्षक के नीचे नामे डाल कर इस रकम का इसी वर्ष में समायोजन किया जाना चाहिए। राजस्थान के निर्माण से पूर्व जयपुर की बाईजीलाल के विवाह से सम्बंधित खर्च की १०.५० लाख की रकम भी '५७' शीर्षक के नीचे नामे डालनी पड़ी है इस प्रकार समायोजित की जाने वाली सम्पूर्ण राशि का आंकड़ा १३०.१/२ लाख रुपये बैठा है। इन समायोजनों से और मंहगाई भत्ते की दर में ५ रु० मासिक वृद्धि से तथा कुछ मदों में राजस्व प्राप्तियों के अधिक होने व कुछ मदों में खर्च कम होने के फलस्वरूप राजस्व खाते में १६.५० लाख की संभावित बचत के बजाय संशोधित अनुमानों में ५७.३८ लाख के घाटे की प्रत्याशा है।

संशोधित अनुमानों में राजस्व खाते के बाहर पूंजीगत व्यय का कार्यक्रम १८७१.०६ लाख रुपये रखा गया है।

पूंजीगत व्यय

१८७१.०६ लाख रुपये के कुल अनुमानित पूंजीगत व्यय में से १६६२.३५ लाख रुपये का व्यय पंचवर्षीय योजना से संबंध रखता है। गैर-योजना व्यय की मुख्य मद अधिग्रहित जागीरों पर दिया जाने वाला मुआवजा है।

१६५६-६० के आय व्ययक अनुमान

१६५६-६० के लिए प्रस्तावित आंकड़ों पर विचार करने से पहले प्राथमिक महत्व के कुछ तथ्यों का वर्णन करना परमावश्यक है। सबसे पहले वित आयोग की इस सलाह को ध्यान में रखना आवश्यक है कि राजस्व में घाटे से बचा जाय। दूसरे, योजना सम्बंधी वार्षिक विचार विमर्श में हमने जो जिम्मेदारियां अपने ऊपर ली हैं उनके लिए हम वचनबद्ध है। २ व ३ जनवरी १६५६ को आयोजना आयोग के साथ विचार विमर्श के फलस्वरूप साधनों का जो अन्तिम निर्धारण किया गया था, उसके अनुसार हमने ११ करोड़ रुपये तक के साधन जुटाना मंजूर कर लिया है अर्थात् ६ करोड़ तो राजस्व लेखे में, जिसमें सम्भाव्य मितव्ययता तथा नये कर आरोपण से प्राप्त होने वाले साधन सम्मिलित हैं, तथा ५ करोड़ पूंजीगत लेखे में।

१६५६-६० में राजस्व प्राप्तियों के अनुमान

विभिन्न मदों के अन्तर्गत तैयार किये गये अनुमानों का कुल योग ३६२७.०८ लाख

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

रुपये बैठता है, जिसमें प्रस्तावित अतिरिक्त कर आरोपण से प्राप्त होने वाली ५८ लाख रुपये की राशि सम्मिलित है। ५८ लाख रुपये की इस राशि में ये राशियां सम्मिलित हैं: सिंचन शुल्कों के एकीकरण के परिणाम-स्वरूप सिंचाई की दरों में वृद्धि से ८ लाख रुपये, भाखड़ा के अलावा अन्य सिंचाई योजनाओं पर सुधार कर आरोपण से १२ लाख रुपये तथा आबकारी शुल्कों की दरों में वृद्धि से वसूल होने वाले ८ लाख रुपये। बाकी ३० लाख रुपये की धन राशि उस नये प्रस्तावित कर से होगी जो मोटर वाहनों द्वारा यात्रा करने वालों के किराये पर तथा लादे जाने वाले माल के भाड़े पर लगाया जायगा। इस कर की दर किराये या भाड़े की दर के मूल्य के १।६ से अधिक नहीं होगी।

जिन महत्वपूर्ण मदों में चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के मुकाबले में एक लाख से अधिक की गरय संवृद्धियां दर्शायी गई हैं वे हैं: निगम कर को छोड़ कर आय पर अन्य कर (१० लाख); भू-राजस्व (४५.७८ लाख); मुद्रांक (४.६५ लाख); वन (३.४२ लाख); वाहनों पर कर (१० लाख); बिक्री कर (१० लाख); अन्य कर व शुल्क (३०.५३ लाख); राजस्व का-राजस्व के शीर्षकों के अन्तर्गत, सिंचाई, नौकवाहन, तटबन्धन व जलनिकास कार्य (अवाणिज्यिक) (१८.६५ लाख); 'ग सिंचन, नौकावहन, तटबन्धन व जल निकास कार्य' शीर्षक के अन्तर्गत, शिक्षा (८८.६२ लाख); चिकित्सा (२.३२ लाख); सार्वजनिक स्वास्थ्य (११.०६ लाख); कृषि (१०.२३ लाख); पशुपालन (१०.५२ लाख); सहकारिता (७.४५ लाख); उद्योग व पूर्ति (१६.२४ लाख); विविध विभाग (३३.२३ लाख); 'च-नागरिक प्रशासन के अन्तर्गत, बहु प्रयोजन नदी योजनायें' (१.३० लाख); 'ज-नागरिक निर्माण बहु प्रयोजन नदी योजनायें' तथा 'विविध सार्वजनिक सुधार के अन्तर्गत,' विविध (४३.२२ लाख); 'ञ-विविध' के अन्तर्गत, असाधारण प्राप्तियां, (८२ लाख) तथा ग्राम विकास परियोजनाओं, ग्राम सेवा योजनाओं व स्थानीय विकास कार्यों से प्राप्तियां (८.०७ लाख); (असाधारण मदों के अन्तर्गत)।

केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर केन्द्रीय करों में से राजस्थान को मिलने वाले हिस्से के लिए परिवर्धित अनुमान अपनाये गये हैं। 'क-राजस्व के मुख्य शीर्षक' के अन्तर्गत अन्य मदों में संवृद्धियां क्रमागत वास्तविक प्राप्तियों पर आधारित हैं। मुद्रांक, बिक्रीकर तथा वाहनों पर कर वे मुख्य मदें हैं जिनके अन्तर्गत आय में क्रमागत संवृद्धि परिलक्षित होती है। सिंचन, नौकावहन, तट बन्धन तथा जल-निकास कार्य में भी संवृद्धि दर्शायी गई है। सर्वेक्षण व अनुसंधान पर योजना व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता तथा सिंचन दरों के एकीकरण के परिणामस्वरूप सिंचन आय में वृद्धि का प्रावधान इस संवृद्धि के मुख्य हेतु हैं। शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन तथा सहकारिता विकास की मदें हैं और इनके अन्तर्गत संवृद्धियां मुख्यतया योजना व्यय के लिए परिवर्द्धित आर्थिक सहायता के फलस्वरूप हुई हैं। विविध विभागों के अन्तर्गत संवृद्धि मुख्यतया खनिज विभाग की प्राप्तियों में दिखाई गई हैं। इस संवृद्धि का कारण कीदूसर खदान से निकलने वाले पत्थर पर परिवर्धित अधिकार शुल्क (रायल्टी), सुरंग गलाने का कार्य संपूर्ण होने के परिणामस्वरूप पलाना की कोयला खान की कार्यप्रणाली में सुधार, तथा

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

बकाया की वसूलियां हैं। आगामी वर्ष में अधिक सिंचन के फलस्वरूप बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत संवृद्धि होगी। 'विविध' के अन्तर्गत परिवर्द्धित धन राशि रखने का कारण यह है कि मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि के द्वारा अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को जो राहत दी जा रही है उसमें केन्द्रीय सहायता के ६५.६६ लाख रुपये शामिल किये गये हैं। पर्याप्त संवृद्धि दर्शाने वाली अन्य मद 'असाधारण' हैं। इसके अन्तर्गत परिवर्धित अनुमानों की कारक मुख्य मदें हैं : भाखड़ा व अन्य नहरी क्षेत्रों में भूमि का क्रय तथा सुधार शुल्क। शेष राजस्व आय का साधन वे साधारण प्राप्तियां हैं जो गंगनहर क्षेत्र में भूमि क्रय से तथा बीकानेर के सिंचित व असिंचित क्षेत्रों में स्वामित्व व दखलकारी अधिकारों की बिक्रीसे होने वाली आय के रूप में होगी। ग्राम- विकास परियोजनाओं, ग्राम सेवा योजना तथा स्थानीय विकास कार्यों से होने वाली प्राप्तियों की राशि आगामी वर्ष में प्रत्याशित व्यय के आधार पर तथा स्थानीय विकास कार्यों की बकाया वसूली के आधार पर बढ़ा कर रखी गई हैं।

राजस्व खाते में व्यय का अनुमान १६५६-६०

गैर–योजना व्यय में लगभग ४० लाख रुपये की संभाव्य मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए राजस्व पर प्रभारित व्यय के अनुमानों की कुल राशि ३६१४.२२ लाख रुपये रखी गई है जिसमें योजना कार्यों से सम्बन्धित ६५५.०५ लाख रुपये भी शामिल हैं।

विकास के अलावा जिन मुख्य मदों में पर्याप्त संवृद्धियां दिखाई गई हैं वे हैं : राज्य आबकारी शुल्क (२६.५१ लाख); साधारण राजस्व से पूरा किया जाने वाला अन्य राजस्व व्यय (३.६६ लाख); ऋणों व अन्य देयों पर ब्याज (४६.४३ लाख); ऋण घटाने अथवा ऋण से बचने के लिये विनियोजन (४७. ५७ लाख); न्याय प्रशासन (२.११ लाख); जेलें (१.५५ लाख) ; पुलिस (२३.६८ लाख); नागरिक निर्माण कार्य (५.५६ लाख); लेखन सामग्री व मुद्रण (११.३० लाख); तथा विविध (६.३८ लाख)।

उपरोक्त विवरण से प्रकट होगा कि राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के प्रस्तावित आंकड़ों के अनुसार १२.८६ लाख की थोड़ी सी बचत की अपेक्षा की जाती है।

१६५६-६० में पूंजीगत व्यय के अनुमान

१६५६-६० में पूंजीगत लेखे में व्यय की अनुमानित राशि २५३२.७४ लाख रुपये रखी गई है जिसमें योजना कार्यों पर खर्च होने वाले २२४६.५० लाख रुपये सम्मिलित हैं (उच्चतम सीमान्तर्गत ६५३.५२ लाख रुपये तथा इस सीमा से बाहर १२६२.६८ लाख रुपये)। इनका व्यौरा इस प्रकार है:–

शीर्षक	धनराशि (लाख रुपयों में)
६५–जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से जमींदारों आदि को मुआवजे का भुगतान	२५०.००

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

शीर्षक	धनराशि (लाख रुपयों में)
६८–सिंचन, नौकावहन, तट–बन्धन व जल निकास कार्यों का निर्माण	१२४६.८६
७०–सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति पर पूंजीगत लागत	४४.६७
७१–कृषि सुधार व गवेषण की योजनाओं पर पूंजीगत लागत	६.१३
७२–औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत	२७.८८
८०–क–बहुप्रयोजन नदी योज–नाओं पर पूंजीगत लागत	४७१.६६
८१–राजस्व खाते से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजीगत व्यय	४५२.४६
८२–राजस्व लेखे से बाहर अन्य निर्माण कार्यों का पूंजीगत व्यय	६.४५
८२–ख–राजस्व खाते से बाहर सड़क व जल परि–वहन योजनाओं पर पूंजी-गत लागत	१५.००
८३–सरकारी व्यापार की योज-नाओं पर पूंजीगत लागत	८.००
योग	२५३२.७४

२५३२.७४ लाख रुपयों के इस अभि–निर्धारण में विद्युत परियोजनाओं के लिए ४१० लाख रुपये का प्रावधान सम्मिलित नहीं है। इस ऋण को मदों के अन्तर्गत दिखाया गया है।

आगामी वर्ष के लिए राजस्व के अन्त-र्गत विकास योजनाओं के हेतु ३८५०,६१ लाख रुपये की कुल धनराशि निर्धारित की गई है जिसमें उच्चतम सीमान्तर्गत योजनाओं के वास्ते २४०५.१६ लाख रुपये तथा पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, किन्तु उच्चतम सीमा बाह्य योजनाओं के वास्ते १४४५.४५ लाख रुपये रखे गये हैं। चालू वर्ष में पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित धन राशि उच्चतम सीमान्तर्गत योजनाओं के वास्ते २०११.६० लाख रुपये, तथा पंचवर्षीय योजना के भीतर किन्तु उच्चतम सीमाबाह्य योजनाओं के वास्ते ६५७.०१ लाख रुपये रखी गई है। इस प्रकार संशोधित अनुमानों की राशियां क्रमशः २००५.२१ लाख रुपये तथा १०२६.११ लाख रुपये होती हैं।

योजना के प्रथम दो वर्षों में योजना के लिए निर्धारित राशि पूरी खर्च नहीं की सही। किन्तु तीसरे वर्ष में उत्साह वर्द्धक प्रगति हुई है। चालू वर्ष के नौ महीनों में पंचवर्षीय योजना की उच्चतम सीमान्तर्गत योजनाओं पर ८ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इससे प्रगट होता है कि गत वर्ष इसी अवधि में होने वाले व्यय से ४२.१४ प्रतिशत अधिक व्यय हुआ है। आशा है कि वास्तविक व्यय संशोधित अनुमानों के आसपास ही होगा।

पंचवर्षीय योजना के लिए कुल १०५.२७ करोड़ रुपये के प्रावधान में

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

चालू वर्ष के अन्त तक हम पंचवर्षीय योजना की उच्चतम योजनाओं सामान्तर्गत पर ४९ करोड़ रुपये खर्च कर चुकेंगे। १९५९–६० के आय व्ययक में प्रस्तावित २४.०५ करोड़ रुपये के प्रावधान के अनुसार हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए प्रावहित कुल धनराशि का लगभग ७० प्रतिशत चार वर्षों में खर्च कर चुकेंगे।

भूतपूर्व अजमेर राज्य द्वारा बनायी गई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की ओर सरकार का पूरा ध्यान है और विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं को प्रगति दी जा रही है। राव समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किये जाने के फलस्वरूप अजमेर में प्रशासनिक भवनों की आवश्यकता बढ़ गई है। अतः लगभग २५ लाख रुपये की लागत के नये भवन बनाने की व्यवस्था की जा रही है।

मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो अजमेर की पंचवर्षीय योजना का पुनरावलोकन इस दृष्टि से कर रही है कि पुनर्गठित राज्य की समग्र योजना को ध्यान में रखते हुए कुछ योजनाओं के दोहराये किये जाने की तथा उन पर दोहरे खर्च की सम्भावना न रहे।

व्यय अनुमान की कुछ प्रधान विशेषताएं ये हैं :

शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर विशेष शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। भारत सरकार की बेरोजगारों को काम देने की योजना के अन्तर्गत १९५९-६० में ११२० प्राथमिक पाठशालाएं खोलने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार ने ५०० नई पाठशालाएं खोलने का निश्चय किया है जो सब बुनियादी ढंग की होंगी। बुनियादी शिक्षा पर होने वाले व्यय की उपयोगिता पर कुछ क्षेत्रों में संशय प्रगट किया जाता है। परन्तु लोग भूल जाते हैं कि देश की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बुनियादी शिक्षा सबसे उपयुक्त प्रणाली मान ली गई है। यह प्रणाली विद्यार्थियों को जीवनोपयोगी धन्धे सिखाने में और उन्हें देश के लिए उपयोगी नागरिक बनाने में सहायक होती है। ३० प्राथमिक पाठशालाओं को मिडिल स्कूलें बनाने तथा ८ मिडिल स्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्तर पर लाने का प्रस्ताव है। लड़कियों के एक इण्टर कॉलेज सहित चार इंटर कॉलेजों का दर्जा बढ़ा कर डिग्री कालेज बनाने का, बाकी के सारे डिग्री कालेजों में पूर्व विश्वविद्यालय पाठयक्रम चालू करने का, तथा लड़कियों के दो कॉलेजों में इंटर की विज्ञान कक्षाएं खोलने का भी प्रस्ताव है। लड़कियों के पांच और हाई स्कूलों में संगीत की कक्षाएं खोलने तथा १० हाई स्कूलों व ३ हायर सेकेण्डरी स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है।

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार जनता के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर प्रदान किया जाना अभीष्ट है। अतः वास्तव में निर्धन व सुयोग्य विद्यार्थियों की आर्थिक असुविधाएं कम करने के लिए हाईस्कूल, इंटर (कला व विज्ञान), बी.ए. व बी. एससी. की परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले उन सब विद्यार्थियों को, जिनके माता पिता की मासिक आय २५० रु० से अधिक न हो छात्रवृत्तियां प्रदान करते

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

का निश्चय किया गया है। इस योजना का पूरा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। किन्तु यह योजना आगामी सत्र से अमल में आयेगी। समाजवादी समाज व्यवस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में यह योजना एक अग्रगामी कदम सिद्ध होगी।

एक और पहलू भी विशेष चर्चा की अपेक्षा रखता है। वर्तमान में ऐसे शिक्षकों की बहुत बड़ी संख्या है जो मैट्रिक पास है अथवा इससे ऊंची योग्यता वाले हैं, किन्तु उस नीची वेतन शृंखला में हैं जो वास्तव में पुराने गैरमैट्रिक शिक्षकों के लिए है। अब मैट्रिक से नीची योग्यता वाले शिक्षक भर्ती नहीं किये जाते हैं। अतः सरकार ने निश्चय किया है कि उन सारे शिक्षकों को, जो मैट्रिक पास हैं अथवा इससे ऊंची योग्यता रखते हैं, मैट्रिक पास शिक्षकों के लिए विहित वेतन शृंखला में तुरन्त ले लिया जाय।

(करतल–ध्वनि)

इस प्रकार उन थोड़े से शिक्षकों को छोड़ कर, जो मैट्रिक पास नहीं हैं बाकी के सब शिक्षकों को न्यूनतम वेतन शृंखला ५० रु० से (५०–३–८० के ग्रेड में) प्रारम्भ होगी। आजकल न्यूनतम वेतन शृंखला ४०–१–५० है।

चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य, मलेरिया के उन्मूलन, देहाती क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधाओं के विस्तार, चिकित्सकों के प्रशिक्षण तथा परिवार नियोजन के कार्यक्रम पर बल दिया जा रहा है। इन ध्येयों की प्राप्ति के लिए १६ नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे, दो जिला अस्पतालों के साथ दांतों के चार चार क्लिनिक संबद्ध किये जायेंगे और इनमें क्षय के रोगियों के लिये २०–२० पृथक बिस्तरों की व्यवस्था की जायगी। १.५ लाख रुपये की लागत से क्षय सैनेटोरियम केन्द्र का भवन बनाया जायगा, अजमेर जिले के तिलोनिया में एक कुष्ठ आश्रम खोला जायगा तथा परिवार नियोजन के देहाती केन्द्र खोले जायंगे। बीकानेर में जुलाई १६५६ से एक नया मैडिकल कॉलेज चालू हो जायगा। इसके अतिरिक्त कम्पाउण्डरों के लिए दो प्रशिक्षण केन्द्र, सहायक परिचारिका दाइयों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र तथा स्थानीय दाइयों के लिए तीन प्रशिक्षण केन्द्र भी खोले जायंगे। देहाती क्षेत्रों में काम करने वाले सरकारी डॉक्टरों के लिए बहुत से मकान बनाने का भी प्रस्ताव है। इसी प्रकार आगामी वर्ष में १६ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के तथा नर्सों की ३ होस्टलों के भवन बनाये जायंगे। इन नये निर्माणों की कुल लागत लगभग २० लाख रुपये होगी।

देहाती क्षेत्रों के दवाखानों में काम करने के लिए डॉक्टरों को आकर्षित करने की दृष्टि से ७५ रु० मासिक भत्ता स्वीकृत किया गया है।

सार्वजनिक विभाग का स्वास्थ्य परिमंडल, शहरी जल प्रदाय की उन २६ पुरानी योजनाओं पर, जिनका काम चल रहा है, तथा चालू वर्ष में स्वीकृत २७ नई योजनाओं पर, ११२.२४ लाख रुपये खर्च करेगा। इसके मुकाबले में गत वर्ष २६ योजनाओं पर ७०.३७ लाख रुपये खर्च

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

हुए थे। १६५६-६० के लिए ८० लाख रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

देहाती जल प्रदाय की विभिन्न योजनाओं पर १६५७-५८ में जो ७ लाख रुपया खर्च हुआ था उसके मुकाबले में चालू वर्ष में ३० लाख रुपये खर्च किये जा रहे हैं। इन योजनाओं के लिए १६५६-६० में ६० लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

राज्य में कृषि का और विशेषतया खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपायों का अवलम्बन किया गया है। १६५६-५७ के सर्वोपरि उत्पादन स्तर से १० प्रतिशत ऊंचा उत्पादन बढाने के लिए अगस्त १६५८ से हमने रबी अभियान चलाया है। इस अभियान में गेहूँ, जौ व बाजरा, ये तीन फसलें चुनी गई हैं।

इस अभियान के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में उर्वकों व खाद की खपत लगभग २५ प्रतिशत बढ गई है और कुल मिला कर रबी की फसलों के क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई है। इस अभियान के साथ साथ मेड़बन्दी का अभियान भी शुरू किया गया है। लगभग ५ लाख एकड़ भूमि में मेड़बन्दी की गई है और इससे इस भूमि की उर्वरा शक्ति काफी हद तक बढ़ी है।

तहसीलों व विकास खण्डों में १००-१०० एकड़ के ४१ फार्मों तथा २१६ बीज गोदामों का जो प्रस्ताव था उसके मुकाबले में दिसम्बर १६५८ के अन्त तक सरकार ३१ फार्म स्थापित कर चुकी है तथा १३५ बीज गोदाम खोल चुकी है।

अनुमान है कि चालू वर्ष में २,००० एकड़ के अतिरिक्त क्षेत्र में फलों के पेड़ लगाये गये हैं। साथ ही बहुत बड़े क्षेत्र में पपीते के पेड़ भी लगाये गये हैं।

(हंसी एवं हर्ष ध्वनियें)

कृषि मंडी योजना के अन्तर्गत अक्टूबर १६५८ तक १८ मंडियों का सर्वेक्षण पूरा हो गया है और बाकी की महत्वपूर्ण मंडियों का सर्वेक्षण चालू वर्ष के अन्त तक समाप्त होने की आशा है। उपयुक्त कृषि औजारों की मांग पूरी करने के लिए जोधपुर में एक इन्जीनियरिंग कारखाना खोलने का प्रस्ताव है।

कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में एक चीज़ विशेष उल्लेखनीय है। राज्य के रेतीले बालुकामय क्षेत्रों में एक नवीन आशा का सूर्योदय हुआ है। कुछ वर्षों से भारत सरकार का भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग इन क्षेत्रों में जल की तलाश के लिए अनुसंधान कर रहा है और इसने जैसलमेर के रेगिस्तान में १,००० वर्गमील की ऐसी पट्टी का पता लगाया है जिसमें नल कूपों के विकास की संभावना है। चन्दन गांव में एक नल कूप लग चुका है। इस नल कूप की क्षमता ५०,००० गैलन प्रति घंटा आंकी गई है। प्रारम्भ में इससे ४०० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी और कुछ समय बाद ८०० एकड़ की। यह कूप राजस्थान में अपने ढंग का सबसे पहला है और भारत भर में सर्वोत्तम है। सरकार का इरादा है कि १,००० वर्ग मील के इस सम्पूर्ण क्षेत्र में बहुत से नलकूप लगाये जांय। इस योजना के पूर्ण होने पर खेती बाड़ी व चरागाहों का विकास और घुमक्कड़ पशुपालकों को बसाना सम्भव हो

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

जायगा तथा पीने के पानी का भी प्रबन्ध हो जायगा। इस योजना के लिए १६५६-६० में ६ लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध होगी।

१६५६-६० के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन का संभावित लक्ष्य वर्तमान योजना अवधि में १६५८-५६ के अन्त तक कुल संभावित उत्पादन से २.४६ लाख टन अधिक रखा गया है।

उद्योग व खानें

सरकार के योजनाबद्ध कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम राज्य के लघु उद्योगों व कुटीर उद्योगों का विकास है। आगामी वित्तीय वर्ष में लघु उद्योगों के लिये ४०.५० लाख रुपये की, हाथकर्घों के लिए १२.८२ लाख रुपये की तथा औद्योगिक संस्थानों के लिए १५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष में लघु उद्योगों को लगभग १७ लाख रुपये के ऋण बांटे गये हैं और इतनी ही धनराशि का आगामी वर्ष के लिये प्रस्ताव है। जयपुर, माखूपुरा (अजमेर) व भीलवाड़ा जो तीन औद्योगिक संस्थान बन रहे हैं उनके अतिरिक्त गंगानगर, जोधपुर, कोटा व भरतपुर में चार औद्योगिक संस्थानों के निर्माण का कार्य आगामी वर्ष में प्रारम्भ होने की आशा है।

डीडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना आगामी वर्ष में चालू हो जायगा। इसके लिए भारत सरकार की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

आगामी वर्ष में गाड़िया लुहारों के लिए ३-४ कारखाने स्थापित करने तथा खादी इम्पोरियम के लिए भवन बनाने के कार्य हाथ में लेने का प्रस्ताव है।

खनिज पदार्थों पर अधिकार शुल्क की आय निरन्तर बढ़ रही है। १६५६-५७ व १६५७-५८ में यह आय क्रमशः ५३ लाख रुपये व ६१.८५ लाख रुपये की हुई थी और आगामी वर्ष में ७० लाख रुपये की आय का अनुमान है। इस आयव्ययक में हम खनिज अनुसंधान के नये उपकरण खरीदने के लिये २ लाख रुपये की तथा खदान सुधार उपकरण खरीदने के लिये ३ लाख रुपये की व्यवस्था कर रहे हैं। कोयले का भंडार समाप्त हो जाने के कारण पलाना की खान जून १६५८ में बन्द कर दी गई थी। खनिज विभाग ने नवीन अनुसंधानित क्षेत्र में सुरंग खोदना शुरू किया और नवम्बर १६५८ में कोयले का उत्पादन फिर से प्रारम्भ हो गया है। पहले महीने में केवल ३५२ टन कोयला निकाला गया परन्तु दिसम्बर में यह उत्पादन २,२०५ टन तक पहुँच गया।

भारतीय संघ में राजस्थान पशुधन तथा पशुओं से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का मुख्य निर्यातक है। राज्य के पशुपालन विभाग ने ११ अखिल भारतीय केन्द्रीय ग्राम खण्ड, एक राज्य कृत्रिम प्रजनन केन्द्र तथा ग्राम विकास व ग्राम सेवा खंडों में २० कृत्रिम प्रजनन केन्द्र स्थापित किये हैं। १६५६-६० में केन्द्रीय ग्राम योजना के ४ केन्द्र और खोलने का प्रस्ताव है। विभाग ने अभिजनन के लिये ६,५२४ सांड, ४,२६० भैंसे और ५,८६७ बकरे तैयार किये हैं।

(हंसी)

Page No 15

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

इनमें से ८११ सांड और १०१ भैंसे तो सरकार ने दिये हैं तथा बाकी के स्थानीय छंटनी के द्वारा अथवा दान में प्राप्त किये गये हैं। १,१०० निजी पशु अभिजनन शालाएं तथा इतनी ही भेड़ अभिजनन शालाएं स्थापित करने का निश्चय किया गया है।

भेड़ व ऊन सुधार कार्य के अन्तर्गत इस विभाग ने अब तक भेड़ अभिजनन शालाओं तथा अन्य साधनों से ७,५०० मेंढ़े वितरित किये हैं तथा स्थानीय छंटनी के द्वारा १५,६२७ मेढ़े अभिजनन के लिये तैयार किये हैं।

१६५८–५६ में ६ पशु औषधालय और खोले गये हैं। २६ पशु औषधालयों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें पशु चिकित्सालय बना दिया गया है और पशुओं की चिकित्सा के लिये ग्रामवासियों की मांग पूरी करने के वास्ते दूर दूर के गांवों में औषधालय स्थापित किये गये हैं। १६ चल पशु औषधालयों ने ५०,६४१ पशुओं का इलाज किया, ५,३६४ पशुओं को बधिया बनाया (हंसी) और १,२०,६८५ पशुओं के टीके लगाये।

१६५६–६० में १२ पशु औषधालय तथा ३ चल चिकित्सालय और खोलने का प्रस्ताव है और २० औषधालयों को चिकित्सालयों में परिवर्तित किया जायगा। चिकित्सालयों के ५ भवन तथा पशु औषधालयों के १० भवन भी बनाये जायेंगे।

बीकानेर के कॉलेज आफ वेटेरिनेरी साइन्स एण्ड ऐनिमल हस्बैण्डरी ने प्रशिक्षित विटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जनों, डिप्लोमा होल्डरों व स्टाकमैनों की मांग पूरी करने में बहुत योग दिया है। इस वर्ष इस कॉलेज ने ३४ बी. वी. एस. एण्ड ए. एच. के शिक्षार्थी तथा ७८ दो वर्ष के डिप्लोमा होल्डर उपलब्ध किये।

जोधपुर में एक घी ग्रेडिंग केन्द्र स्थापित किया गया है और दूसरा केन्द्र जयपुर में इसी वर्ष स्थापित किया जायगा।

आधुनिकतम रूप रेखा के अनुसार आयोजित ३ आधुनिक सरकारी कुक्कटशालाएं तैयार हो रही हैं (हंसी) और ये जयपुर, अजमेर व उदयपुर में स्थित हैं। पुरानी कुक्कुटशालाएं विस्तार केन्द्रों के रूप में कार्य करती रहेंगी।

राजस्थान में प्रतिवर्ष ३०० लाख पौंड ऊन पैदा होती है जो भारतीय संघ के कुल ऊन उत्पादन का ४५ प्रतिशत है। अजमेर ज़िले में ५ विस्तार केन्द्र और खोले गये हैं।

कुछ माननीय सदस्य : ठीक है।

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : (पुनः पूर्व क्रम से) राज्य में सहकारी समितियों की संख्या अब ११,२६२ हो गई है और कृषि ऋण समितियों की संख्या बढ़ कर ६,६०४ हो गई है। ११ प्रतिशत ग्रामीण परिवार तथा २० प्रतिशत गाँव इन समितियों के दायरे में आ गये हैं। सदस्यता की प्रति समिति औसत संख्या २७ से बढ़ कर ४५ हो गई है। इस वर्ष समितियों को दिये गये ऋणों की राशि गतवर्ष की ४.४ करोड़ की

(श्री हरिभाऊ उपाध्याव)

राशि के मुकाबले में ७.७३ करोड़ हो गई। द्वितीय योजना के शेष दो वर्षों में सहकारी समितियों की सदस्य संख्या दुगुनी करने का इरादा है। द्वितीय योजना के अन्तर्गत सहकारिता की योजनाओं के लिए आगामी वर्ष के आयव्ययक में परिवर्द्धित प्रावधान किया गया है।

समाज कल्याण

एक ओर अनुसूचित जातियों के कल्याण कार्यों पर सलाह देने तथा निगाह रखने के लिए नये सलाहकार मण्डल बनाये गये हैं और दूसरी ओर वर्तमान जनजाति सलाहकार मण्डल में प्रतिनिधियों की संख्या बढा कर इसका पुनर्गठन किया गया है। स्त्रियों को प्रश्रय देने के लिये तथा अनैतिक व्यापार बन्द करने के लिए स्त्रियों व लड़कियों का अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम १९५६ लागू कर दिया गया है। आगामी वर्ष में ३८ नये समाज शिक्षा केन्द्र, १० नये आवासगृह, ७ प्रशिक्षण संयुक्त उत्पादन केन्द्र, १० संस्कार केन्द्र, और ६ शिशुशालाएं खोलने का प्रस्ताव है। ५२० परिवारों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता और पंचायतघर, संयुक्त स्कूल भवन, पीने के पानी का कुंआ, बच्चों का पार्क आदि आधारभूत नागरिक सुविधाएं देकर पुनःस्थापित करने की भी योजना है। सिंचाई के लिए कुंए खोदने के वास्ते ५१० परिवारों को अनुदान सहायता दी जायगी। ५० तालाबों व पालों का निर्माण व जीर्णोद्धार किया जायगा। नाहरू की रोकथाम के लिए ७५ बावड़ियों को पानी खींचने के कुंओं के रूप में परिवर्तित किया जायगा।

मद्यनिषेध के बारे में जनता को अवगत कराने के लिए तथा मद्यनिषेध जारी करने के हेतु जमीन तैयार करने के लिये मद्यनिषेध सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार राज्य व्यापी तीव्र प्रचार शुरू करने का इरादा है और इस प्रयोजन के लिए २५,००० की रकम समाज कल्याण विभाग के संचालक को सौंपी जा रही है।

सड़कें व भवन

१९५८–५९ में सड़कों के लिए १ करोड़, ६० लाख रुपये निर्दिष्ट किये गये थे। चालू वर्ष में बहुत संतोषजनक कार्य हुआ है और आशा है कि ८८७ मील लम्बी सड़कों का निर्माण अथवा सुधार हो जायगा। इस वर्ष में सड़कों के नीचे पानी निकालने के कुछ मार्ग बनाये जायंगे जिससे उन पर बारहों महीने मोटर दौड़ सकेंगी। चालू वर्ष में यह निर्धारित रकम १६० लाख से बढ़ाकर २१५ लाख करदी गई है। योजना व्यय के साथ साथ २१ लाख रुपये राष्ट्रीय मार्गों पर तथा १५ लाख रुपये आर्थिक व अन्तर्राज्य महत्व की सड़कों पर खर्च होने की सम्भावना है।

भवन निर्माण का कार्यक्रम भी संतोषप्रद गति से आगे बढ़ रहा है। आशा है कि इस वर्ष में २२७ लाख रुपये का व्यय होगा। १९५९–६० में योजना के अन्तर्गत सड़कों के लिए २०० लाख रुपये मंजूर किये गये हैं और यदि प्रगति का यही वेग बना रहा तो यह पूरी रकम खर्च होने की आशा है।

सिंचन-राजस्थान नहर

गत ग्रीष्म ऋतु में इस नहर की खुदाई

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

का कार्य २४ मील की लम्बाई में प्रारम्भ किया गया था।

हनुमानगढ़ व सूरतगढ़ के क्षेत्रों में मकानों के निर्माण का कार्य हाथ में ले लिया गया है। राजस्थान नहर मण्डल स्थापित हो गया है जिसके अध्यक्ष तथा प्रशासक पूर्णकालिक हैं। नहर निर्माण का कार्य नियत कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है। नहर की २४ मील लम्बाई में मिट्टी खोदने का लगभग २५ प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में पर्याप्त प्रगति होने की आशा है।

बड़ी सिंचन योजनाएं

भाखड़ा : इस परियोजना का राजस्थान में पड़नेवाला भाग लगभग सारा पूरा हो चुका है। इस वर्ष के प्रारम्भ में भाखड़ा प्रणाली से प्राप्त होने वाले जल का परिणाम सतलज नदी में पानी के थोड़े प्रवाह के कारण बहुत कम रहा। बाद में गत सितम्बर व अक्टूबर में जल प्रदाय की स्थिति में सुधार हुआ है। १६५६–६० में जब भाखड़ा बांध की समाई बढ़ जायगी तब इस स्थिति में और भी अधिक सुधार की आशा है।

मध्यम सिंचन योजनाएं

सिंचाई की जो ३१ मध्यम योजनाएं निर्माणाधीन हैं उनमें से ३६,००० एकड़ भूमि की सिंचन क्षमतावाली ८ योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। जाखम, बड़गांव के पास बेड़च, आलनिया, भरतपुर नहर तथा नारायण सागर की ५ नई योजनाएं इस वर्ष हाथ में ले ली गई हैं और इनकी क्रियान्विति के लिए प्रारम्भिक तैयारियां हो चुकी हैं। कृतकार्य योजनाओं से तथा निर्माणाधीन योजनाओं से सिंचाई शुरू हो गई है और आशा है कि ३१ मार्च, १६५६ तक १,२०,००० एकड़ भूमि को पानी मिलने लगेगा।

लघु सिंचन योजनाएं

विगत वर्ष से जो २५ लघु योजनाएं चली आ रही थी उनमें से ११ योजनाओं का निर्माण पूरा हो गया है। इनके अतिरिक्त इस वर्ष २१ योजनाओं का कार्य प्रारम्भ हो गया है।

सुधार शुल्क (भाखड़ा क्षेत्र)

७१ गांवों से सम्बन्धित ६,०२,४४,८०० रु० की सुधार शुल्क तथा चौबीस छ-माही किस्तों में चुकायी जाने वाली २६४ रु० प्रति एकड़ शुल्क की अन्तिम निर्धारित दरें राज–पत्र में प्रकाशित करदी गई हैं। शेष गांवों में अभिनिर्धारण का कार्य चल रहा है।

विद्युत शक्ति

आशा की जाती है कि १६५६–६० के वित्तीय वर्ष में भाखड़ा नांगल परियोजना के प्रेषण तार तथा वितरण तार बिछाने का कार्य राजस्थान क्षेत्र में तथा पंजाब क्षेत्र में भी पूरा हो जायेगा। और इस परियोजना से प्राप्त होने वाली विद्युत शक्ति श्रीगंगानगर, चूरू, झुन्झुनू व सीकर जिलों में उपलब्ध होने लगेगी। चम्बल परियोजना की विद्युत शक्ति के उपयोग के लिए प्रेषण तारों का जाल बिछाने के कार्य का कुछ भाग भी हाथ

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

में लिया जायगा। आशा है कि आगामी वित्तीय वर्ष में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में से लगभग २१,००० किलोवाट बिजली काम में ली जायगी जिसमें ३२ कस्बों व गांवों को बिजली मिलने लगेगी। इसके मुकाबले में चालू वित्तीय वर्ष में थर्मल बिजलीघरों की योजना तथा शहरी व देहाती विद्युतीकरण योजनाओं के विकास से केवल १,८२० किलोवाट. बिजली उपलब्ध हो सकेगी। सर्वेक्षण व अनुसंधान के अन्तर्गत ५,००० अथवा इससे अधिक आबादी वाले कस्बों व गांवों के लिए विद्युत भार का सर्वेक्षण किया जायगा। जोधपुर के वाष्पचालित बिजलीघर में लगाया जानेवाला तीसरा बॉयलर भी आने वाला है।

चम्बल जल विद्युत योजना

१६५६–६० में इसमें १४० लाख रुपये लगाने की व्यवस्था की गई है। यह उस वास्तविक व्यय पर आधारित है जिसे हम चालू वर्ष में अंगीकार कर चुके हैं और जिसका भुगतान १६५६–६० में किया जाने को है।

शहरी व देहाती विद्युतीकरण

रोजगार के अवसर प्रदान करने के हेतु देहाती क्षेत्रों में तथा छोटे छोटे कस्बों में बिजली की सुविधाओं का विस्तार करने के लिये १६५६–६० में २५ लाख रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है। आशा है कि इस प्रयोजन के लिए २,००० किलोवाट बिजली विनियुक्त होगी। इसमें जयपुर की ३,००० किलोवाट की वह स्टीम टरबाइन भी शामिल नहीं है जो १६५६–६० में चालू कर दी जायगी।

विस्थापितों का पुनर्वास

पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों को अब लगभग पूरी तरह बसाया जा चुका है। ३ विधवा आश्रम हैं तथा अशक्तों के लिए दो आश्रम हैं जिनमें ६०० तथा ६२५ के लिए स्वीकृत व्यवस्था है। योग्य विद्यार्थियों को वृत्तियां दी जाती हैं और पश्चिम पाकिस्तान से आये हुए बालकों व निराश्रित विधवाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। २०० प्रशिक्षणार्थियों को धन्धों का व प्राविधिक प्रशिक्षण देने के लिये वृत्तियां आदि दी जाती हैं। जयपुर, अलवर, जोधपुर व उदयपुर में प्रशिक्षण संयुक्त उत्पादन के केन्द्र चल रहे हैं। ८ सहकारी समितियों को मकान बनाने के लिए ऋण दिये गये हैं। राजस्थान के विभिन्न ज़िलों में सरकार ने ५७७ दूकानें व केबिनें बनवाई हैं और ये विस्थापित व्यक्तियों को किस्ती-खरीद तथा किराये के आधार पर दी जाती हैं। विस्थापितों को किराये पर देने के लिए भीलवाड़ा में १०० तथा बीकानेर में ५० छोटे छोटे क्वार्टर बनवाये जा रहे हैं। राज्य सरकार ने पूर्व पाकिस्तान के ६०० खेतिहर व ६० गैर खेतिहर परिवारों को कोटा ज़िले के घट्टी, परानिया व गोरधनपुरा गांवों में बसाने की जिम्मेदारी स्वीकार की है। यहां एक प्राथमिक पाठशाला तथा छः बिस्तरोंवाला एक औषधालय खोला जा चुका है तथा आगामी वर्ष में २ औषधालयों की व्यवस्था और की गई है।

पर्यटन

राज्य में पर्यटन के विकास को सरकार

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

बहुत अधिक महत्व दे रही है। चालू वित्तीय वर्ष में जयपुर, जोधपुर व अजमेर में थोड़ी आमदनी वाले वर्ग के वास्ते विश्राम गृह बनवाने के लिए कदम उठाये गये हैं। अलवर के निकट सिलीसेड का विश्राम गृह चालू हो गया है। बूंदी, आबू पहाड़ व उदयपुर में जो पर्यटक कार्यालय पहले ही खुले हुए थे उनके अलावा भरतपुर व चित्तौडगढ़ में नये पर्यटक कार्यालय खोले गये हैं। अगामी तीन वर्षों में अजमेर, जयपुर व जोधपुर में भी पर्यटक कार्यालय खोले जायेंगे।

लोकतन्त्री विकेन्द्रीकरण

लोकतन्त्री विकेन्द्रीकरण की योजना के अन्तर्गत पंचायत समितियां तथा जिला परिषदें स्थापित करने की जो परिकल्पना है उसके भी वित्तीय परिणाम हैं। सरकार के वर्तमान कर्तव्य इन्हें हस्तांतरित किये जाने पर इन संस्थाओं को वित्तीय साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। ये संस्थाएं अपने दायित्व निभाने में समर्थ हो सकें इसके लिये सरकार अपने राजस्व में से इनके वास्ते आवश्यक धन राशि की व्यवस्था करने में संकोच नहीं करेगी। मुझे विश्वास है कि अपने ही कार्य क्षेत्रों में साधन जुटाने के मामले में ये संस्थाएं अपना उत्तरदायित्व अच्छी तरह समझ लेगी।

अतिरिक्त करआरोपण

अतिरिक्त करों के लिये चालू वित्तीय वर्ष के आयव्ययक अनुमानों में ८० लाख रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सुधार शुल्क तथा सिंचन दरों के सिवाय बिक्री कर, राज्य आबकारी शुल्क, मनोरंजन कर, खनिजों से प्राप्त होने वाला अधिकार शुल्क आदि अन्यमदों के लक्ष्य पूरे हो जायेंगे। सम्भव है कि वास्तविक वसूली अनुमानों से भी अधिक हो। सिंचन प्रभार की एकीकृत दरें स्वीकृत करदी गई हैं और १६५८-५६ की रबी फसल से लागू हो जायगी। अतः आगामी वर्ष के अनुमानों में राजस्व की इस अतिरिक्त आय का हिसाब जोड़ लिया गया है। सुधार शुल्क की वसूली भी १६५६-६० में की जायगी। यह रकम भी आगामी वर्ष अतिरिक्त कर आरोपण के लक्ष्य की मद में जमा खाते डाल दी गयी हैं।

अल्प बचत योजना

अब मैं अल्प बचत योजना के महत्व पर भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं। आन्तरिक साधन जुटाने में इस योजना का महत्व पूर्ण योग है। ब्याज की दरें व पूंजी लगाने के उपयुक्त रूप प्रस्तुत करने के साथ साथ यह योजना पंचवर्षीय योजना के लिये वित्तीय व्यवस्था करने के कार्य में सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से भागीदार बनने का अवसर प्रदान करती है।

तीसरी योजना में इसका महत्व और भी अधिक बढ़ेगा। अतः हम राजस्थान वासियों को आज व्रत लेना चाहिए कि हम अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे। हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि प्रत्येक घर और प्रत्येक परिवार इस योजना में सम्मिलित हो जाय। आर्थिक पहलू के अलावा इस योजना का एक महान् सामाजिक व राष्ट्रीय महत्व भी है, क्योंकि इसके द्वारा लोग राष्ट्रनिर्माण के महान् कार्य में अपनी जिम्मेदारी मह-

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

सूस कर सकते हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की जनता में चेतना जाग्रत करने के उपाय किये जा रहे हैं। ग्राम-स्तर पर सरकारी व गैर-सरकारी कार्यकर्त्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। गांव गांव में अभियान के द्वारा सारे देहाती भाग में इसका सन्देश पहुंचाने के लिए सरकारी व गैरसरकारी लोगों की टोलियां बना दी गयी हैं। यह योजना विस्तृत आधार पर स्थापित की जा रही है। अतः शहरी व देहाती क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने के लिए तथा ये परिवार जो कुछ भी थोडा बहुत बचा सकें उसे संग्रह करने के लिए प्रशिक्षित कार्य-कर्त्ताओं की एक सेना तैयार की जा रही है। वास्तव में अल्पबचत योजना का विकास अब हमारे देश की अर्थ व्यवस्था का एक स्थायी पक्ष बन गया है और किफायत की राष्ट्रीय आदत डालने के लिए इस आन्दोलन के शैक्षणिक व सामाजिक पहलू को अधिकाधिक ध्यान में रखना आवश्यक है।

सार्वजनिक ऋण

आगामी वर्ष के साधनों के अनुमानों में सार्वजनिक ऋण के द्वारा एकत्रित की जाने वाली ३-१।२ करोड़ रुपये की धनराशि भी है।

१ अप्रेल १६५८ को हमारे कोष में १,४६७.१३ लाख रु० था (सरकारी प्रामिसरी नोट आदि के रूप में १,२१५.६४ लाख तथा हिस्सों के रूप में २५१.१६ लाख इनमें पौंड प्रतिभूतियां ४.७० लाख शामिल नहीं हैं।)

१ अप्रेल १६५६ को विनियोजन की प्रत्याशित राशि १,५०१.२१ लाख होगी (सरकारी प्रामिसरी नोटों आदि के रूप में १,२१७.६६ लाख तथा हिस्सों के रूप में २,८३.५२ लाख)। इन विनियोजनों में १.७० लाख पौंड प्रतिभूतियां शामिल नहीं है।

हिस्सों में वृद्धि का कारण यह है कि सहकारी समितियों के अधिक हिस्से खरीदे गये हैं।

अधिविकर्षण

१ अप्रेल १६५८ को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अधिविकर्षित रकम ८७६.४६ लाख रुपये थी। योजना पर अधिक धन लगाया जाने के कारण तथा मंहगाई भत्ते आदि में अतिरिक्त व्यय के कारण यह संभावना है कि चालू वर्ष के अन्तिम दिन अधि-विकर्षित धनराशि का आंकड़ा १ अप्रेल के आंकड़े से ऊंचा रहेगा।

केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋणों की कुल धनराशि ३१ मार्च, १६५६ को ७७.६३ करोड़ रुपये तक पहुँचने की सम्भावना है।

सरकार करों के ढांचे को यथासंभव अधिक से अधिक सरल बनाना चाहती है। इस बात को ध्यान में रख कर बिक्री कर से सम्बन्ध रखने वाली एक विशेष समिति नियुक्त करदी गई है।

सरकार को बताया गया है कि बिक्री कर वसूल किये जाने के कारण लघु व कुटीर उद्योगों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं बाजार की प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकती। अतः

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

लघु व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं पर राहत देने का विचार है।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं समाज सेवा, सार्वजनिक उपयोगिता व सार्वजनिक हित से सम्बन्ध रखने वाले विभागों पर किये जाने वाले व्यय के आंकड़ों पर मोटे तौर पर प्रकाश डालना चाहता हूँ।

१६५१–५२ में समाज सेवाओं पर होने वाले वास्तविक व्यय की कुल रकम ४५४.६१ लाख थी। प्रथम योजना की समाप्ति तक इस व्यय का कुल योग ७४८.०५ लाख रुपये हो गया। १६५७–५८ का वास्तविक आंकड़ा १,२६७.६८ लाख रुपये था और चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों का जोड़ १,५१५.१८ लाख रुपये बैठता है। १६५६–६० के आय-व्यय अनुमानों में समाज सेवा के लिए १,७४०.६७ लाख की रकम निर्धारित की गई है। इसी प्रकार आगामी वर्ष में सार्वजनिक उपयोगिता व कल्याण के विभागों के लिए ४,३१०.७६ लाख की धनराशि का प्रावधान है। इसके मुकाबले में १६५१–५२ में इन विभागों पर केवल ७५६.५६ लाख रुपये खर्च हुए थे।

ज़ाहिर है कि हम अपने लक्ष्य की ओर दृढतापूर्वक आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी आवश्यकताएं विपुल हैं और हमको अभी बहुत कुछ करना है। किन्तु हमें यह सन्तोष है कि राज्य के विकास की सुदृढ़ नींव पड़ चुकी है और समय पाकर हम अपने स्वप्नों का राजस्थान निर्मित कर सकेंगे। हमारे सामने अनेक कठिनाइयां हैं किन्तु ईश्वर की अनुकम्पा से तथा माननीय सदस्यों के सहयोग से, हमें पूर्ण आशा है कि हम इन पर विजय प्राप्त करेंगे तथा राज्य की जनता की सेवा के कार्य में निरन्तर आगे बढते जायेंगे।

अपना स्थान ग्रहण करने से पहले मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनसे निवेदन करता हूँ कि वे आय-व्ययक के प्रस्तावों की परीक्षा खुले दिल व दिमाग से करने की कृपा करें।

जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : अब सदन की कार्यवाही कल दिनांक ३ मार्च, १६५६ के ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५.१७ बजे दिनांक ३ मार्च, १६५६ के ११ बजे म. पू. तक के लिये स्थगित हुई।]

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक २ मार्च, १९५९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
१८७६	५	म. पू.	म. प.
१८८१	५	पंचंवर्षीय	पंचवर्षीय
१८८८	१३	अन्तम	अंतिम
१८८६	८	शामिल की गई थी	शामिल हो गई थी
१६०१	प्रथम	त्रिवरण	विवरण
१६०४	नीचे से १२	सभावना	संभावना
१६०७	प्रंथम	यिवरण	विवरण
१६१०	६	तीव्र	तीव्र
१६१३	नीचे से ६	वद्यु तीकरण	विद्यु तीकरण
१६१५	२	(श्रीहरिभाऊ उपाध्याय)	(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)
१६१७	७	आयजित	आयोजित